



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 16 अगस्त, 2016 / 25 श्रावण, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, चम्बा

अधिसूचना

दिनांक : चम्बा, अगस्त, 2016

इस कार्यालय द्वारा जारी समस्त अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए मिट्टी तेल (रिसट्रीक्शन आन यूज एण्ड फिकशेशन आफ सिलिंग प्राईस) आदेश 1993 की धारा 2 (डी)(i) के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सुदेश कुमार मोखटा (भा.प्र.से.) जिला दण्डाधिकारी चम्बा हि० प्र० जिला चम्बा में निम्नलिखित स्थानों में कार्यरत उचित मूल्य की दुकानों/परचून प्राधिकृत डिपूओं के लिए मिट्टी तेल के अधिकतम थोक तथा परचून दरें निम्न प्रकार निर्धारित करने के तत्काल आदेश देता हूँ :-

क्र० सं०	उचित मूल्य की दुकान/ प्राधिकृत मिट्टी तेल परचून/ डिपूओं के स्थान का नाम	थोक दर समस्त करों एवं भाडे सहित प्रति कि.लीटर		परचून दर समस्त करों एवं भाडे सहित प्रति लीटर	
		मै० हकीम राय लाभ सिंह करियां चम्बा	मै० रामा डीजल एण्ड पेट्रोल एजैन्सी चम्बा	मै० हकीम राय लाभ सिंह करियां चम्बा	मै० रामा डीजल एण्ड पेट्रोल एजैन्सी चम्बा
1.	चम्बा शहर	18294.72	18225.84	18.60	18.52
2.	करीयाँ, रजेरा, मैहला, सरोल, साहो, सिल्लाघाट, सुल्तानपुर।	18694.72	18625.84	19.10	19.02
3.	धरवाला, लिह गैहरा राख	18939.72	18870.84	19.34	19.27
4.	लुणा, दुर्गोठी, खडामुख	19147.72	1978.84	19.60	19.52
5.	लाहल, भरमौर, हडसर, गरोला, मच्छतरी, डली, होली व थल्ला।	19268.72	19200.84	19.72	19.65
6.	दियोला, न्याग्रां	19399.72	19331.84	19.85	19.78
7.	मंगला, गेट, कियाणी, राजनगर, चकलू, चण्डी, चनेड, परिहार, सिढ़।	18939.72	18870.84	19.34	19.27
8.	कल्हेल, ब्रंगाल, सुण्डला, सुरगाणी, मसरुंड, लचोडी, सलूणी।	19219.72	19150.84	1.62	19.55
9.	तीसा, भजंराडू, तरेला, किहार, भांदल, नकरोड, कठवाड, गुवाडी, संघणी।	19404.72	19335.84	19.80	19.73
10.	ककियाणा, भोरपुर, गोली, देवीदेहरा, बाथरी, बनीखेत, लक्कडमण्डी, धामग्राम, नैनीखडड, तुन्नुहट्टी बकलोह, ककीरा।	18809.72	18740.84	19.20	19.14
11.	बैली, बगडार, खेरी, समलेऊ, चुहन,।	19377.72	19308.84	19.78	19.14
12.	लाहडु, कुडडी, रायपुर, साहला, पातका, टुण्डी, समोट, कामला, गरनोटा, टिकरी, सिहुन्ता, मोतला हटली, धुलारा, थुलेल, बलाना, काथला,।	19386.72	19317.84	19.78	19.71
13.	डलहौजी	19119.72	19050.84	19.42	19.35
14.	चुवाडी	19286.72	19217.84	19.58	19.51

उपरोक्त स्थानों के अतिरिक्त जहां मिट्टी तेल टैंकर परचून बिक्री स्थल पर नहीं पहुंच पाते उस दशा में परचून विक्रेता अतिरिक्त दुलाई खर्चा प्रासंगिक खर्च जो कि जिला दण्डाधिकारी चम्बा दवारा अनुमोदित है, जोडकर बिक्री कर सकेंगे।

आदेश द्वारा,
सुदेश कुमार मोखटा,
जिला दण्डाधिकारी,
चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

अन्य शर्तें:-

1. समस्त मिट्टी तेल थोक विक्रेता जिला दण्डाधिकारी चम्बा, जिला चम्बा द्वारा जारी रुट चार्ट के अन्तर्गत आने वाली समस्त उचित मूल्य की दुकानों/मनोनीत परचून मिट्टी तेल विक्रेताओं को आबंटित मिट्टी तेल मात्रा के अनुसार निर्धारित दरों पर प्रति मास आपूर्ति करेगा।
2. उपरोक्त वांछित स्थानों को छोडकर दूसरे स्थानों पर यदि कोई विक्रेता मिट्टी तेल ले जाता है तो उस पर वास्तविक किराया भाडा व लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होगा।
3. थोक विक्रेता परचून विक्रेता को मिट्टी तेल जारी करते समय कैंश मैमो जारी करेगा। जिस पर प्राधिकृत डिपो होल्डर/विक्रेता के हस्ताक्षर लेना अनिवार्य होगा।
4. परचून विक्रेता केवल पंजीकृत राशन कार्डों पर सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा एवं दर पर ही मिट्टी तेल की आपूर्ति करेगा। विक्रेता कार्ड रजिस्ट्रेशन, स्टॉक, रजिस्टर एवं शिकायत पुस्तिका तैयार करेंगे जोकि निरीक्षण के समय निरीक्षण अधिकारी/कर्मचारी को समय समय पर प्रस्तुत करेंगे।
5. 100 लीटर मिट्टी तेल की बिक्री को थोक बिक्री समझा जाएगा तथा थोक विक्रेता बिक्री में थोक दर ही लगाएगा।
6. प्रत्येक थोक/परचून विक्रेता प्रति दिन मिट्टी तेल की भण्डारण स्थिति एवं दर व्यापारिक संस्थान के उचित स्थान पर प्रदर्शित करेगा ताकि प्रदर्शन दर एवं भण्डारण स्थिति को आसानी से पढा जा सके।
7. कोई भी थोक विक्रेता मिट्टी तेल निर्धारित रुट चार्ट से बाहर के क्षेत्र में मिट्टी तेल की आपूर्ति जिला नियन्त्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले चम्बा की स्वीकृति के बिना नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त थोक विक्रेता जिला नियन्त्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की अनुमति के बिना किसी भी परचून विक्रेता को मिट्टी तेल नहीं देगा।
8. प्रत्येक थोक विक्रेता मिट्टी तेल के स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर तैयार करेगा जिसमें प्रत्येक दिन मिट्टी तेल प्राप्ति व बिक्री का विवरण अंकित होना चाहिए तथा निरीक्षण अधिकारी/कर्मचारी को प्रस्तुत करना होगा।
9. प्रत्येक थोक विक्रेता मिट्टी तेल की आपूर्ति के तुरन्त बाद अगले दिन आपूर्ति किए मिट्टी तेल की फीड बैक रिपोर्ट को जिला नियन्त्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले चम्बा को टैंकर बार भेजना सुनिश्चित करेगा।
10. यदि कोई मिट्टी तेल विक्रेता (थोक व परचून) उपरोक्त शर्तों की अवहेलना करता है तो वह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
11. थोक कम से कम एक बार समस्त रुट चार्ट में आने वाले मिट्टी तेल डिपुओं की वितरण करके पुनः उसी क्रम में वितरण करेगा जब तक उसका पूरे मास का कोटा समाप्त नहीं हो जाता।

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 अगस्त, 2016

संख्या: यु0डी0-ए(3)-14/2015.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग की अधिसूचना संख्या यु0डी0-ए(3)-6/2011 तारीख 01-02-2012 के अधिक्रमण मे और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग के लिए उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील प्राधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी और नियत समय सीमा को निम्नलिखित प्रकार से अधिसूचित करते हैं, अर्थात :-

क्रम संख्या	सेवा/लोक सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन का प्रपत्र (फार्मेट)	सेवा प्राप्त करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	व्यक्ति जो सेवा के लिए आवेदन कर सकेगा	सेवा के लिए समय सीमा	प्रथम अपील प्राधिकारी	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	जन्म का रजिस्ट्रीकरण	रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु (मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी) नगर-निगम/कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/सचिव, नगर पंचायत	हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2003 के अधीन विहित प्ररूप संख्या 7 पर।	चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट, यदि जन्म स्वास्थ्य संस्थान में हुआ है, यदि जन्म घर पर हुआ है तो जन्म प्रपत्र पारिवारिक चिकित्सक/नर्स/प्रशिक्षित दाई/वार्ड पार्षद द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित हो।	माता-पिता या कोई अन्य पारिवारिक सदस्य।	दो दिन	आयुक्त, नगर निगम/सम्बद्ध उप-मण्डल मजिस्ट्रेट।	हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2003 के अनुसार।
2.	मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण	रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु (मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी) नगर-निगम/कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/सचिव, नगर पंचायत	हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2003 के अधीन विहित प्ररूप संख्या 8 पर।	चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट, यदि मृत्यु स्वास्थ्य संस्थान में हुई है, यदि मृत्यु घर पर हुई है तो रिपोर्ट पारिवारिक चिकित्सक/वार्ड पार्षद द्वारा हस्ताक्षरित हो	माता-पिता या कोई अन्य पारिवारिक सदस्य	दो दिन	आयुक्त, नगर निगम, सम्बद्ध उप-मण्डल मजिस्ट्रेट।	हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2003 के अनुसार
3.	विवाह का रजिस्ट्रीकरण	रजिस्ट्रार/संयुक्त आयुक्त/सहायक आयुक्त नगर-निगम/कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/सचिव, नगर पंचायत।	हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1996 के उपबन्ध के अनुसार विहित प्ररूप पर	विवाह करने वाले व्यक्तियों का ब्योरा	माता-पिता या कोई अन्य पारिवारिक सदस्य	दो दिन	आयुक्त, नगर निगम, सम्बद्ध उप-मण्डल मजिस्ट्रेट।	—
4.	जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र की प्रति।	रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु (मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी), विवाह नगर-निगम/कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/सचिव, नगर पंचायत	हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1996 के उपबन्ध के अनुसार विहित प्ररूप पर	नाम, जन्म तिथि/मृत्यु/विवाह और अन्य सुसंगत ब्योरे	परिवार का कोई व्यक्ति	दो दिन	आयुक्त, नगर निगम, सम्बद्ध उप-मण्डल मजिस्ट्रेट	—

5.	जल आपूर्ति कुनेक्शन	म्युनिसिपल इंजीनियर नगर निगम/ कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/ सचिव, नगर पंचायत ।	विहित प्ररूप पर	समापन / मंजूरी पत्र, कर शोधन, स्वामित्व, स्थल योजना और किरायदार की दशा में स्वामी का अनापत्तिप्रमाण पत्र, कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता / अभियन्ता, नगर निगम की तकनीकी रिपोर्ट ।	स्वामी या किरायदार	तीस दिन	आयुक्त, नगर निगम/ सम्बद्ध उप-मण्डल मजिस्ट्रेट ।	सम्बन्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस ।
6.	मल निकास कुनेक्शन	म्युनिसिपल इंजीनियर नगर निगम/ कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/ सचिव, नगर पंचायत ।	विहित प्ररूप पर	समापन / मंजूरी पत्र, कर शोधन, स्वामित्व, स्थल योजना और किरायदार की दशा में स्वामी का अनापत्तिप्रमाण पत्र, कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता / अभियन्ता, नगर निगम की तकनीकी रिपोर्ट	स्वामी या किरायदार	तीस दिन	आयुक्त, नगर निगम/ सम्बद्ध उप-मण्डल मजिस्ट्रेट	सम्बन्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस
7.	भवन योजना (प्लान)/ योजना (प्लान) की अनुज्ञा/नक्शा							
क	नई योजना की अनुज्ञा	वास्तुकार योजनाकार (ए०पी०), नगर निगम/ कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/ सचिव नगर पंचायत	विहित प्ररूप पर	जैसी प्ररूप में विहित है	सम्पत्ति का स्वामी	नब्बे दिन	आयुक्त, नगर निगम/ सम्बद्ध उप-मण्डल मजिस्ट्रेट	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस
ख	संशोधित एवं समापन योजना (कम्प्लीशन प्लान)	वास्तुकार योजनाकार (ए०पी०), नगर निगम/ कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/ सचिव नगर पंचायत	विहित प्ररूप पर	जैसी प्ररूप में विहित है	सम्पत्ति का स्वामी	नब्बे दिन	आयुक्त, नगर निगम सम्बद्ध उप-मण्डल मजिस्ट्रेट	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस
ग	समापन योजना (कम्प्लीशन प्लान) सभी प्रकार से भवन के पूर्ण होने के पश्चात	वास्तुकार योजनाकार (ए०पी०), नगर निगम/ कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/ सचिव नगर पंचायत	विहित प्ररूप पर	जैसी प्ररूप में विहित है	सम्पत्ति का स्वामी	नब्बे दिन	आयुक्त, नगर निगम/ सम्बद्ध उप-मण्डल सम्बद्ध मजिस्ट्रेट	नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस
घ	पुरानी पद्धति पर	पू-निर्माण वास्तुकार योजनाकार (ए०पी०), नगर निगम/	विहित प्ररूप पर	जैसा प्ररूप में विहित है	सम्पत्ति का स्वामी	साठ दिन	आयुक्त, नगर निगम / सम्बद्ध उप-मण्डल मजिस्ट्रेट	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस

		कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/सचिव नगर पंचायत						
३	भवन उपयोग का परिवर्तन	वास्तुकार योजनाकार (ए०पी०), नगर निगम/कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/सचिव नगर पंचायत	विहित प्ररूप पर	जैसा प्ररूप में विहित है	सम्पत्ति का स्वामी	साठ दिन	आयुक्त, नगर निगम/सम्बद्ध उप-मण्डल मजिस्ट्रेट	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस
8.	बी पी ल प्रमाण पत्र का जारी करना	संयुक्त आयुक्त/सहायक आयुक्त, नगर निगम/कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/सचिव, नगर पंचायत	सादे कागज पर आवेदन	कार्ड की प्रति/शपथ -पत्र यदि अपेक्षित हों, नाम सहित परिवार के सदस्यों की सूची, परिवार के मुखिया फोटोग्राफ।	कोई व्यक्ति	सात दिन	आयुक्त, नगर निगम/सम्बद्ध उप-मण्डल मजिस्ट्रेट	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस
9.	बिजली के लिए अनापति प्रमाण पत्र	वास्तुकार योजनाकार (ए०पी०), नगर निगम/कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/सचिव नगर पंचायत	सादे कागज पर आवेदन	मंजूरी का संदर्भ	कोई व्यक्ति	तीस दिन	आयुक्त, नगर निगम/सम्बद्ध उप-मण्डल मजिस्ट्रेट	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस
10.	गैर (खाद्य अपमिश्रण निवारण) लाइसेंस	संयुक्त आयुक्त/सहायक आयुक्त नगर निगम/कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/सचिव, नगर पंचायत	सादे कागज पर आवेदन	मंजूरी का संदर्भ	कोई व्यक्ति	तीस दिन	आयुक्त, नगर निगम/सम्बद्ध उप-मण्डल मजिस्ट्रेट	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस
11.	कैनोपी के लिए अनुमति	संयुक्त आयुक्त/सहायक आयुक्त नगर निगम/कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/सचिव, नगर पंचायत	सादे कागज पर आवेदन	मंजूरी का संदर्भ	कोई व्यक्ति	सात दिन	आयुक्त, नगर निगम/सम्बद्ध उप-मण्डल मजिस्ट्रेट	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस
12.	मक डंपिंग के लिए अनुमति	अधिशासी अभियंता, नगर निगम/कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/सचिव, नगर पंचायत	सादे कागज पर आवेदन	मंजूरी का संदर्भ	कोई व्यक्ति	सात दिन	आयुक्त, नगर निगम/सम्बद्ध उप-मण्डल मजिस्ट्रेट	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस

*ये केवल उन्हीं नगरपालिकाओं में लागू होंगे जहां दोनो सेवाएं उन्हीं के नियन्त्रणाधीन हो ।

सेवा के लिए अनुरोध विनिर्दिष्ट दस्तावेजों सहित वहित आवेदन/प्रारूप पर पदाभिहित अधिकारी प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत उसके अधीनस्थ व्यक्ति को किया जा सकता है। अभिस्वीकृति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी नियम के अनुसार जारी की जाएगी। समस्त पदाभिहित अधिकारियों को प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए आदेश जारी करना और उन्हें अधिनियम की धारा 5 के अनुसार सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करना अपेक्षित हैं।

धारा 6 के अधीन आवेदन अस्वीकार करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या नियत समय सीमा के अवसान के भीतर, प्रथम अपील अधिकारी को अपील की जा सकेगी।

प्रथम अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील राज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश, जो द्वितीय अपील प्राधिकारी है, के समक्ष दाखिल कर सकेगा।

आदेश द्वारा,
मनीषा नंदा
अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास)।

[Authoritative English text of this department Notification No. UD-A(3)-14/2015 dated 11/08/2016 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 11th August, 2016

No: UD-A(3)-14/2015.—In supersession of this Department notification No. UD-A(3)-6/2011 dated 01-02-2012 and in exercise of the powers conferred by section 3 of the Himachal Pradesh Public Services Guarantee Act, 2011, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the Services, Designated Officers, First Appellate Authority, Second Appellate Authority and the stipulated time limits for the purpose of above Act for the Department of Urban Development, Himachal Pradesh as under :—

Sl. No.	Name of service/ public service	Designated Officer	Format of the application to obtain service	List of documents required to obtain service	Person who can request for service	Time limit for service	First Appellate Authority	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Registration of Birth	Registrar, Birth & Death (C.H.O), M.Corp/ EO, MC/ Secy, NP	On Form No. 7 prescribed under the HP Registration of Birth & Death Rules, 2003.	Report of Medical officer, if birth takes place in Health Institute in case birth takes place at home, birth proforma duly signed by the family doctor/ nurse/ trained midwife/ Ward Councilor.	Parents of any other family member	2 days	Commr. of the Corp/SDM concerned	As per the HP Registration of Birth & Death Rules, 2003

2.	Registration of Death	Registrar, Birth & Death (C.H.O), M. Corp/EO, MC/ Secy, NP	On Form No.8 prescribed under the HP Registration of Birth & Death Rules, 2003.	Report of Medical Officer, if death takes place in Health Institute. In case death takes place at home report signed by the family doctor/ Ward Council.	Parents of any other family member	2 days	Commr. of the Corp/ SDM concerned	As per the HP Registration of Birth & Death Rules, 2003
3.	Registration of Marriage	Registrar/J.C./ AC of M.Corp/ EO, MC/ Secy, NP	On prescribed form as per the provision of Registration of Marriage Act, 1996.	Detail of persons getting married	Parents of any other family member	2 days	Commr. of the Corp / SDM concerned	—
4.	Copy of Birth death & Marriage Certificate	Registrar, Birth & Death (C.H.O), Marriage, M.Corp/ EO, MC / Secy, of NP	On prescribed form as per the provision of Registration of Marriage Act, 1996.	Name, date of Birth/Death/Marriage/ and other relevant details .	Any person of family	2 days	Commr. of the Corp/SDM concerned	—
5.*	Water supply connection	M.E. M.Corp/ EO, MC/ Secy, NP	On prescribed form.	Completion/ sanction letter, Tax Clearance, Ownership/site plan and NOC of owner in case of tenants Tech. report of JE/ AE/ ME.	Owner or tenant	30 days	Commr. of the Corp/ SDM concerned	Fee as prescribed by the municipality concerned
6.*	Sewerage connection	M.E.M.Corp/ EO, MC/ Secy, NP	On prescribed form.	Completion/ sanction letter, Tax Clearance, Ownership/site plan and NOC of owner in case of tenants Tech. report of JE/AE/ ME.	Owner or tenant	30 days	Commr. of the Corp/ SDM concerned	Fee as prescribed by the municipality concerned
7.	Building Plan/ Planning permission / map							
a	Fresh planning permission	A.P. M.Corp/ EO, MC/Secy, NP	On prescribed form.	As prescribed in the Form	Owner of the property	90 days	Commr. of the Corp/ SDM concerned	Fee as prescribed by the municipality concerned
b	Revised-cum-Completion plan	A.P. M.Corp/ EO, MC/Secy, NP	On prescribed form.	As prescribed in the Form	Owner of the property	90 days	Commr. of the Corp/SDM concerned	Fee as prescribed by the municipality concerned
c	Completion plan (after completion of building in all respect	A.P. M.Corp/ EO, MC/ Secy, NP	On prescribed form.	As prescribed in the Form	Owner of the property	90 days	Commr. of the Corp/ SDM concerned	Fee as prescribed by the Municipality concerned
d	Reconstruction on old line	A.P. M.Corp/ EO, MC/Secy, NP	On prescribed form.	As prescribed in the Form	Owner of the property	60 days	Commr. of the Corp/ SDM concerned	Fee as prescribed by the municipality concerned

e	Change of building use	A.P. M. Corp/EO, MC/Secy, NP	On prescribed form.	As prescribed in the Form	Owner of the Property	60 days	Commr. of the Corp/SDM concerned	Fee as prescribed by the municipality concerned
8.	Issuance of BPL certificate	J.C./AC of M.Corp/EO, MC/Secy, NP.	Application on plain paper	Copy of BPL card/ Affidavit, if required. List of family member with name Photograph of head of the family.	Any person	07 days	Commr. of the Corp/SDM concerned	Fee as prescribed by the municipality concerned
9.	NOC for Electricity	A.P. M.Corp/EO, MC/Secy, NP	Application on plain paper	Reference of sanction	Any person	30 days	Commr. of the Corp/SDM concerned	Fee as prescribed by the municipality concerned
10.	Non P.F.A. License	J.C./A.C. M. Corp/EO, MC/Secy, NP	Application on plain paper	Reference of sanction	Any person	30 days	Commr. of the Corp/SDM concerned	Fee as prescribed by the municipality concerned
11.	Permission for Canopy	J.C./A.C. M.Corp/EO, MC/Secy, NP	Application on plain paper	Reference of sanction	Any person	7 days	Commr. of the Corp/SDM concerned	Fee as prescribed by the municipality concerned
12.	Permission for Dumping of muck	XEN, M. Corp/EO, MC/Secy, NP	Application on plain paper	Reference of sanction	Any person	7 days	Commr. of the Corp/SDM concerned	Fee as prescribed by the municipality concerned

* This will be applicable only for those Municipalities where both the services are under their control.

The request for service on the application/from prescribed alongwith specified documents can be made to the designated officer or to a person subordinate to him authorized to receive such applications. An acknowledgement will be issued as per Himachal Pradesh Public Service Guarantee Rules. All designated officers are required to issue order authorized person and display in the Notice Board as per section 5 of the Act.

An appeal under Section 6 can be filed before the first appellate authority within thirty days from the date of rejection of application or the expiry of the stipulated time limits.

An appeal against the order of the First Appellate Authority can be filed before the State Information Commission, Himachal Pradesh, who shall be the second Appellate Authority.

By order,
MANISHA NANDA,
Additional Chief Secretary (UD).

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 6th August, 2016

No. HHC/E.5-10/73-VII.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has been pleased to transfer Sh. Mukesh Chauhan Superintendent Grade-I, presently posted in District and sessions Division, Hamirpur to the District and sessions Division, Kinnaur at Rampur Bushahr, against the vacant post.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 5th August, 2016

No.HHC/Admn.16 (20)75-II.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Smt. Ashu Singh, Advocate, Ghumarwin as Oath Commissioner at Ghumarwin for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st August, 2016

No. HHC/GAZ/14-350/2014.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 06 days' earned leave w.e.f. 4.8.2016 to 9.8.2016 in favour of Sh. Bhuvnesh Awasthi, Additional District and Sessions Judge, Sirmaur District at Nahan, H.P.

Certified that Sh. Bhuvnesh Awasthi is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Bhuvnesh Awasthi would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge, Sirmaur District at Nahan, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st August, 2016

No. HHC/GAZ/ 14-340/2014.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 02 days' commuted leave for 16.7.2016 & 17.7.2016 in favour of Sh. Nishant Verma, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (III), Hamirpur, H.P.

Certified that Sh. Nishant Verma has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Nishant Verma would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (III), Hamirpur, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st August, 2016

No. HHC/GAZ/ 14-277/2004.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 09 days' earned leave w.e.f. 16.8.2016 to 24.8.2016 with permission to prefix Second Saturday, Sunday & Gazetted holiday falling w.e.f. 13.8.2016 to 15.8.2016 and to suffix Gazetted holiday falling on 25.8.2016 in favour of Sh. Vivek Khanal, Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM (I), Mandi, H.P.

Certified that Sh. Vivek Khanal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Vivek Khanal would have continued to hold the post of Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM (I), Mandi, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-171002, the 19th August, 2015*

No.PBW(B)F(7)3/2009-I.—In continuation to this department notification of even number dated 5th March, 2015, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the declaration of the following mentioned roads as Major District Roads (MDRs):—

Sr. No.	Name of road	District	Length (KMs)	MDR No.
57	Tuti-Kandi bifurcation to Sanjauli Dhalli by pass junction via Chhota Shimla and Sanjauli Chowk.	Shimla	11.195	66
58	Victory Tunnel to Sanjauli Dhalli by pass via Lakkar Bazar Junction and Dhalli.	Shimla	8.610	67

Accordingly the total length of Major District Roads in the State will be 2329.720 kms.

By order,
Sd/-
Addl. Chief Secretary (PW).

ब अदालत श्री प्रीतम चंद शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री विजय कुमार सपुत्र श्री चैन सिंह, निवासी गांव धरतीलाहड़, डाकघर बगढार, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान—हल्फी वमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 23-05-1989 है, जोकि ग्राम पंचायत बगढार के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बगढार के रिकार्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर—एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 02-09-2016 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर ना आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

प्रीतम चंद,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री कम लाल सपुत्र श्री होशियारा राम, निवासी गांव कालानाल, डाकघर बलेरा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान—हल्फी वमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री प्रज्ञा शर्मा की जन्म तिथि 23-08-2011 है, जोकि ग्राम पंचायत बलेरा के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बलेरा के रिकार्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर—एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 02-09-2016 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर ना आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री धीरज अबरोल सपुत्र श्री रमेश अबरोल, निवासी गांव व डाकघर बाथरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान—हल्फी वमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 19-01-1985 है, जोकि ग्राम पंचायत बाथरी के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बाथरी के रिकार्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर—एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 02-09-2016 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर ना आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

Lhakpa Tsamchoe सपुत्री स्व0 श्री Lobsang निवासी मिडल बकरोटा, डाकघर व तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान—हल्फी वमय अन्य कागजात इस आश्य से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 14—8—1971 है, जोकि नगर परिषद् डलहौजी के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जन्म तिथि नगर परिषद् डलहौजी के रिकार्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर—एतराज हो तो वह असागतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 02—09—2016 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर ना आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23—07—2016 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती रक्षा शर्मा पत्नी श्री संजय शर्मा, गांव कुटेड, डाकघर धनोट, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।

इश्तहार राजपत्र बारे।

श्रीमती रक्षा शर्मा पत्नी श्री संजय शर्मा, गांव कुटेड, डाकघर धनोट, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि मेरी लड़की कनिका शर्मा पुत्री श्री संजय शर्मा का जन्म 08—03—1993 को हुआ है। लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न हुआ है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 24—08—2016 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि पंजीकृत करने के आदेश कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 25-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्री अनिल कुमार पुत्र श्री हरी चन्द, निवासी भाठी, डाकघर रजोल व श्रीमती सुदेश कुमारी पुत्री रणजीत सिंह, निवासी लदवाड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ... वादी।

बनाम

आम जनता

... प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना—पत्र बाबत जेर धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।

श्री अनिल कुमार पुत्र श्री हरी चन्द, निवासी भाठी, तहसील शाहपुर ने प्रार्थना—पत्र मय हल्फिया ब्यान इस अशय से गुजारा है कि उसकी शादी सुदेश कुमारी पुत्री श्री रणजीत सिंह, निवासी लदवाड़ा से दिनांक 14-10-2015 को हुई है परन्तु अज्ञानतावश उसने शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत अम्बाड़ी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाने के आदेश दिये जावें।

अतः इस इशतहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त प्रार्थीगण की शादी के पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 30-08-2016 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में कार्यवाही यकतरफा अमल में लाते हुए नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित पंचायत को जारी कर दिये जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 25-07-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री दीक्षांत ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : नाम दरुस्ती।

तारीख पेशी : 27-8-2016

सुदर्शन कुमार पुत्र श्री वंगाल सिंह, निवासी रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

... प्रतिवादी।

विषय.—महाल अम्बाड़ी, थड़ा, ककड़ोह, रजोल, महेरना के राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी ने इस न्यायालय में शपथ सहित दरखास्त गुजारी है कि उसका नाम तहसील शाहपुर के महाल अम्बाड़ी, थड़ा, ककड़ोह, रजोल, महेरना के राजस्व रिकार्ड में दर्शन सिंह पुत्र वंगाल सिंह दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज है जबकि मेरा वास्तविक नाम सुदर्शन कुमार पुत्र वंगाल सिंह है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम सुदर्शन कुमार पुत्र वंगाल सिंह, निवासी रजोल का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करने बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई एतराज/उजर हो तो वह अपना एतराज दिनांक 27-08-2016 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। उसके बाद कोई भी उजर जेरे समायत न होगा।

यह इशतहार आज दिनांक 26-7-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री ओम प्रकाश मैहता, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार देहा,
जिला शिमला (हि0 प्र0)

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म रजिस्टर में पंजीयन करने बारे।

यह कि श्री राजेन्द्र सिंह सुपुत्र श्री हीरा सिंह, वासी ग्राम भाम्बी, डाकघर व पंचायत घूण्ड, उप—तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में अपने सुपुत्र श्री सचिन सुपुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, वासी ग्राम भाम्बी, डाकघर घूण्ड, उप—तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) की जन्म तिथि को जन्म रजिस्टर में पंजीकृत करने बारे आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदनकर्ता का कहना है कि उसके सुपुत्र का जन्म ग्राम भाम्बी, डाकघर घूण्ड, उप—तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) में दिनांक 27-7-2011 को हुआ है, लेकिन अज्ञानतावश वह सुपुत्र की जन्म तिथि को पंचायत जन्म रजिस्टर में पंजीकृत न करवाया जा सका।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त श्री सचिन सुपुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, वासी ग्राम भाम्बी, डाकघर घूण्ड, उप—तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) की जन्म तिथि को जन्म रजिस्टर में पंजीकृत करने से सम्बन्धित यदि किसी व्यक्ति विशेष को कोई भी उजर व एतराज हो तो वे दिनांक 30-08-2016 को समय प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। दिनांक 30-08-2016 के पश्चात् कोई उजर एतराज पेश न होने की स्थिति में श्री सचिन सुपुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, वासी ग्राम भाम्बी, डाकघर घूण्ड, उप—तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) की जन्म तिथि को जन्म रजिस्टर में पंजीकृत करने बारे सम्बन्धित पंचायत अधिकारी को आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

ओ0 पी0 मैहता,
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार,
देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री ओम प्रकाश मैहता, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार देहा,
जिला शिमला (हि0 प्र0)

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म रजिस्टर में पंजीयन करने बारे।

यह कि श्री प्रेम सिंह सुपुत्र श्री मिनु, वासी ग्राम चरैण, डाकघर पराला, उप—तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में अपनी सुपुत्री शालू, सुपुत्री श्री प्रेम सिंह सुपुत्र श्री मिनु, वासी ग्राम चरैण, डाकघर पराला, उप—तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) की जन्म तिथि को जन्म रजिस्टर में पंजीकृत करने बारे आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदनकर्ता का कहना है कि उसकी सुपुत्री का जन्म ग्राम चरैण, डाकघर पराला, उप—तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) में दिनांक 01-07-2012 को हुआ है, लेकिन अज्ञानतावश वह सुपुत्री की जन्म तिथि को पंचायत जन्म रजिस्टर में पंजीकृत न करवाया जा सका।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त शालू सुपुत्री श्री प्रेम सिंह सुपुत्र श्री मिनु, वासी ग्राम चरैण, डाकघर पराला, उप—तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) की जन्म तिथि को जन्म रजिस्टर में पंजीकृत करने से सम्बन्धित यदि किसी व्यक्ति विशेष को कोई भी उजर व एतराज हो तो वे दिनांक 30-08-2016 को समय प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। दिनांक 30-08-2016 के पश्चात् कोई उजर/एतराज पेश न होने की स्थिति में शालू, सुपुत्री श्री प्रेम सिंह सुपुत्र श्री मिनु, वासी ग्राम चरैण, डाकघर पराला, उप—तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) की जन्म तिथि को जन्म रजिस्टर में पंजीकृत करने बारे सम्बन्धित पंचायत अधिकारी को आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

ओ0 पी0 मैहता,
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार,
देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री ओम प्रकाश मैहता, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार देहा,
जिला शिमला (हि0 प्र0)

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म रजिस्टर में पंजीयन करने बारे।

यह कि श्री राजेन्द्र सिंह सुपुत्र श्री चेत राम, वासी ग्राम शिरगुली, डाकघर देहा, उप—तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में अपने सुपुत्र श्री सुनील सुपुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, वासी ग्राम शिरगुली, डाकघर देहा, उप—तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) की जन्म तिथि को जन्म रजिस्टर में पंजीकृत करने बारे आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदनकर्ता का कहना है कि उसके सुपुत्र का जन्म ग्राम शिरगुली, डाकघर देहा, उप—तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) में दिनांक 18-05-1990 को हुआ है, लेकिन अज्ञानतावश वह सुपुत्र की जन्म तिथि को पंचायत जन्म रजिस्टर में पंजीकृत न करवाया जा सका।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त श्री सुनील सुपुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, वासी ग्राम शिरगुली, डाकघर देहा, उप—तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) की जन्म तिथि को जन्म रजिस्टर में पंजीकृत करने से सम्बन्धित यदि किसी व्यक्ति विशेष को कोई भी उजर व एतराज हो तो वे दिनांक 30-08-2016 को समय प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना एतराज

प्रस्तुत कर सकते हैं। दिनांक 30-08-2016 के पश्चात् कोई उजर/एतराज पेश न होने की स्थिति में श्री सुनील सुपुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, वासी ग्राम शिरगुली, डाकघर देहा, उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) की जन्म तिथि को जन्म रजिस्टर में पंजीकृत करने बारे सम्बन्धित पंचायत अधिकारी को आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

ओ0 पी0 मैहता,
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार,
देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री ओम प्रकाश मैहता, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार देहा,
जिला शिमला (हि0 प्र0)

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म रजिस्टर में पंजीयन करने बारे।

यह कि श्री राकेश कुमार सुपुत्री श्री रति राम, वासी ग्राम चरैण, डाकघर पराला, उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में अपनी सुपुत्री सन्जना सुपुत्री श्री राकेश कुमार सुपुत्र श्री रति राम, वासी ग्राम चरैण, डाकघर पराला, उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) की जन्म तिथि को जन्म रजिस्टर में पंजीकृत करने बारे आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदनकर्ता का कहना है कि उसकी सुपुत्री का जन्म ग्राम चरैण, डाकघर पराला, उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) में दिनांक 10-06-2014 को हुआ है, लेकिन अज्ञानतावश वह सुपुत्री की जन्म तिथि को पंचायत जन्म रजिस्टर में पंजीकृत न करवाया जा सका।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त सन्जना सुपुत्री श्री राकेश कुमार सुपुत्र श्री रति राम, वासी ग्राम चरैण, डाकघर पराला, उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) की जन्म तिथि को जन्म रजिस्टर में पंजीकृत करने से सम्बन्धित यदि किसी व्यक्ति विशेष को कोई भी उजर व एतराज हो तो वे दिनांक 30-08-2016 को समय प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। दिनांक 30-08-2016 के पश्चात् कोई उजर/एतराज पेश न होने की स्थिति में सन्जना, सुपुत्री श्री राकेश कुमार सुपुत्र श्री रति राम, वासी ग्राम चरैण, डाकघर पराला, उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) की जन्म तिथि को जन्म रजिस्टर में पंजीकृत करने बारे सम्बन्धित पंचायत अधिकारी को आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

ओ0 पी0 मैहता,
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार,
देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री Pema Tsering पुत्र श्री Rabgyal, निवासी H.No. 3, T.C.I.S भूपपुर, तहसील पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 128/16

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Pema Tsering पुत्र श्री Rabgyal, निवासी H.No. 3, T.C.I.S भूपपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र Tenzin Palden की जन्म तिथि 27-05-1983 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत भाटावाली में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 27-05-1983 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Tenzin Palden की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाटावाली, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 27-08-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री Tenzin Palden की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27-07-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री रजित कुमार कौशल पुत्र श्री शिव चन्द शर्मा, निवासी गुरदीप कालोनी नजदीक अवलोवान, गुरुद्वारा पटियाला (पंजाब) प्रतिवादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 130/16

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रजित कुमार कौशल पुत्र श्री शिव चन्द शर्मा, निवासी गुरदीप कालोनी नजदीक अवलोवान, गुरुद्वारा पटियाला (पंजाब) ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 05-05-1991 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत मिश्रवाला में अपनी जन्म तिथि 05-05-1991 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री रजित कुमार कौशल की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मिश्रवाला, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 27-08-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री रजित कुमार कौशल की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27-07-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री विशारत अली पुत्र श्री खुरशैद अली, निवासी अमरगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर
वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 131 / 16

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री विशारत अली पुत्र श्री खुरशैद अली, निवासी अमरगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्रियों नरगिस तथा महक की जन्म तिथि क्रमशः 21-10-2011 तथा 26-09-2014 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत पुरूवाला कांशीपुर में अपनी ऊपर वर्णित पुत्रियों की जन्म तिथियां 21-10-2011 तथा 26-09-2014 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 नरगिस तथा महक की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पुरूवाला कांशीपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 27-08-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु0 नरगिस तथा महक की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27-07-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री जयपाल पुत्र श्री दारा राम, निवासी ग्राम अमरगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर
वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 124/16

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जयपाल पुत्र श्री दारा राम, निवासी ग्राम अमरगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री प्रीती की जन्म तिथि 04-09-2007 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत पुरुवाला कांशीपुर में अपनी पुत्री की जन्म तिथि 04-09-2007 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 प्रीती की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पुरुवाला कांशीपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 24-08-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु0 प्रीती की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-07-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री विशाल पंवार पुत्र श्री जसमेर सिंह, निवासी सिंघपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर
वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 126/16

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री विशाल पंवार पुत्र श्री जसमेर सिंह, निवासी सिंघपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 04-06-1992 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा

एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत भगानी में अपनी जन्म तिथि 04-06-1992 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री विशाल पंवार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भगानी, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 27-08-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री विशाल पंवार की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-07-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री हर्ष कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी ग्राम अमरगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर
वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 132/16

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हर्ष कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी ग्राम अमरगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 13-05-1994 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत पुरुवाला कांशीपुर में अपनी जन्म तिथि 13-05-1994 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री हर्ष कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पुरुवाला कांशीपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 27-08-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री हर्ष कुमार की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27-07-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती Lobsang Youdon पत्नी श्री Rusar Pema, निवासी H.No. 18, T.C.I.S. भुपपुर, पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ... वादी।

बनाम

आम जनता

... प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 127 / 16

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती Lobsang Youdon पत्नी श्री Rusar Pema, निवासी H.No. 18, T.C.I.S. भुपपुर, पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री Tashi Choezom की जन्म तिथि 03-12-1992 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत भाटावाली में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 03-12-1992 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 Tashi Choezom की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाटावाली, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 27-08-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु0 Tashi Choezom की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27-07-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री Tsering Topgyal पुत्र श्री Nyima Dhondup, निवासी H.No. 70, T.C.I.S. भुपपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ... वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 129/16

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Tsering Topgyal पुत्र श्री Nyima Dhondup, निवासी H.No. 70, T.C.I.S. भुपपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 03-06-1980 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत भाटावाली में अपनी जन्म तिथि 03-06-1980 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री Tsering Topgyal की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाटावाली, पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 27-08-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री Tsering Topgyal की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27-07-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री जगमोहन सिंह पुत्र श्री देवी चन्द, निवासी 171/11 देवी नगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

प्रतिवादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 125/16

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जगमोहन सिंह पुत्र श्री देवी चन्द, निवासी 171/11 देवी नगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 08-02-1996 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया

है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब में अपनी जन्म तिथि 08-02-1996 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री जगमोहन सिंह की जन्म तिथि नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 24-08-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त जगमोहन सिंह की जन्म तिथि को सम्बन्धित नगरपालिका परिषद् में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-07-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

सूचना

मैं, गरीमा पत्नी श्री प्रेम सिंह चंबियाल, गांव टुटवा, डा0 मनोह सिहाल, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा की निवासी हूं, मेरा नाम विवाह से पहले उषा देवी पुत्री श्री तिलक राज, गांव छतरोली, तहसील नूरपुर था। गरीमा और उषा दोनों नाम मेरे हैं। मुझे गरीमा नाम से ही जाना जाए जोकि सही व दुरुस्त है

गरीमा,
पत्नी श्री प्रेम सिंह चंबियाल,
गांव टुटवा, डा0 मनोह सिहाल,
तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

